



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 326 राँची, सोमवार,

15 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

2 जून, 2026

संख्या- 04/नि०सं०-12-44/2015 का. 3604--श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-112/20) द्वारा विभागीय कार्यवाही में आरोपमुक्त किए जाने के फलस्वरूप संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

2. श्री समदानी के विरुद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के पद पर पदस्थापन अवधि में एन०एफ०एस०ए०/जे०एस०एफ०एस०एस० योजना के तहत 1938 लाभुकों को PVTG श्रेणी में परिवर्तन के कार्य का ससमय अनुश्रवण नहीं करने, कास्ट चेंज होने के कारण गैर PVTG श्रेणी के लाभुकों को गलत तरीके से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ पहुँचाने के फलस्वरूप वास्तविक PVTG श्रेणी के परिवार को लाभ से वंचित रखने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 25641(HRMS) दिनांक 31.05.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं० 36149 (HRMS) दिनांक 11.05.2026 द्वारा श्री समदानी को आरोपमुक्त किया गया।

3. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि के पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 30.04.2026 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत की गई थी। उक्त बैठक में विभागीय संकल्प 25641(HRMS) दिनांक 31.05.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित रहने के कारण श्री समदानी से संबंधित निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा की गई थी।

4. विभागीय संकल्प सं० 6227 दिनांक 20.11.2008 की कण्डिका 2(vi) के अनुसार किसी अनुशासनिक मामले/आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, तो पूर्णतः दोषमुक्त होने की स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबंद लिफाफे में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार उसके लिए निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे ठीक नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।

5. विभागीय संकल्प संख्या 25641(HRMS) दिनांक 31.05.2024 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय संकल्प सं० 36149(HRMS) दिनांक 11.05.2026 द्वारा श्री समदानी को आरोपमुक्त किए जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 में निर्धारित उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में, श्री समदानी की प्रोन्नति से संबंधित मुहरबंद लिफाफा खोला गया।

6. विभागीय प्रोन्नति समिति की दिनांक 30.04.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 112/20) के संबंध में 'प्रोन्नति के योग्य' अनुशंसा की गई है।

7. श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 112/20) से कनीय श्रीमती मनीषा तिकी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-113/20) को विभागीय अधिसूचना सं० 2618 दिनांक 30.04.2026 द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान की गई है।

8. अतः श्री गुलाम समदानी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 112/20) को उनसे कनीय श्रीमती मनीषा तिकी, झा०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-113/20) को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-13) में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि 30.04.2026 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है तथा उनके द्वारा धारित पद को उनकी वर्तमान पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 तथा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 74 के आलोक में श्री समदानी को प्रदत्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ एवं अन्य सुविधाएँ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होंगी।

- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के द्वितीय बैच (जे०पी०एस०सी० के माध्यम से नियुक्त) के पदाधिकारियों की नियुक्ति में अनियमितता के संबंधित काण्डों/वादों में पारित होने वाले आदेशों/फलाफल से इनकी प्रोन्नति प्रभावित होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
